

I kozt fud I puk

; i hl h, y dh o"z 2018&19 dh ok"kd jktLo vko'; drk , oa VsjQ fi Vh'ku ij mRrjk[k.M fo | r fu; ked vk; lx }kjk i kjr VsjQ vknsk fnukd 21&03&2018 ds fo#) ; i hl h, y }kjk vk; lx ds l e{k i Lr r dh x; h i qzopkj ; kfpdk ij fopkj vkf=r fd; s tkrsgA

i qzopkj ; kfpdk dsef; vak

- 1— यूपीसीएल, उत्तराखण्ड राज्य की एकमात्र विद्युत वितरण अनुज्ञापी कम्पनी ने वर्ष 2018-19 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं टैरिफ पिटीशन पर उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा पारित टैरिफ आदेश दिनांक 21-03-2018 के विरुद्ध आयोग के समक्ष एक पुर्नविचार याचिका प्रस्तुत की है।
- 2— इस पिटीशन के माध्यम से यूपीसीएल ने रु0 439.27 करोड की अतिरिक्त राजस्व आवश्यकता का दावा निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:

de l f; k	विवरण	रु0 करोड़
1	विद्युत वितरण हानियों में कमी लाने की ट्रॉजेक्टरी का पुनरीक्षण	175.54
2	विद्युत क्य लागत	14.34
3	नॉन टैरिफ आय	23.46
4	सम्पत्तियों का पूंजीकरण	18.37
5	गत-वर्षों से सम्बन्धित (रॉयल्टी पावर की लागत तथा अन्य समायोजन मद में) वसूली का स्थगन (रु0 259.45 करोड़ - रु0 51.89 करोड़)	207.56
	कुल	439.27

- 3- यूपीसीएल ने उपर्युक्त रू0 439.27 करोड की अतिरिक्त राजस्व आवश्यकता की वसूली 01-04-2018 से विद्युत दरों में वृद्धि के माध्यम से करने का प्रस्ताव किया है। यूपीसीएल ने वर्तमान में लागू विद्युत दरों में 7.31 प्रतिशत औसत वृद्धि का प्रस्ताव किया है।
- 4 - पिटीशन पर उपभोक्ताओं एवं अन्य स्टैकहोल्डर्स के सुझाव/मत, यदि कोई हो, आंमत्रित किये जाते हैं। ये सुझाव/मत व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, निकट आई0एस0बी0टी0, पोस्ट आफिस- माजरा, देहरादून -248171 को अथवा ई-मेल (secy.uerc@gov.in) पर दिनांक 18-06-2018 तक भेजे जा सकते हैं।
- 5 - विस्तृत पिटीशन किसी भी कार्य दिवस में आयोग अथवा मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), विक्टोरिया कॉस विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड़, देहरादून/ मुख्य अभियन्ता (वितरण), गढ़वाल क्षेत्र, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, 120-हरिद्वार रोड़, देहरादून/ मुख्य अभियन्ता (वितरण), कुमांऊ क्षेत्र, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, 132-कै0वी0 सबस्टेशन, काठगोदाम, हल्द्वानी / मुख्य अभियन्ता (वितरण), हरिद्वार क्षेत्र, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, रोशनाबाद, हरिद्वार/ मुख्य अभियन्ता (वितरण), उधमसिंह नगर क्षेत्र, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, 33 कैवी सबस्टेशन, सेक्टर-2, सिडकुल, पंतनगर, रुद्रपुर-263153 पर बिना किसी खर्च के देखी जा सकती है। पिटीशन के सम्बन्धित प्रपत्र यूपीसीएल के उपर्युक्त वर्णित कार्यालयों से प्राप्त किये जा सकते हैं।
- 6- उक्त पिटीशन आयोग की वेबसाईट (www.uerc.gov.in) एवं यूपीसीएल की वेबसाईट (www.upcl.org) पर भी उपलब्ध है।

i zll/k funskd